

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1446
(सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)
प्रतिस्पर्धा कानून सुधार और प्रवर्तन

1446. श्री भर्तृहरि महताब:

श्री अनुराग शर्मा:

श्री तेजस्वी सूर्या:

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

श्री विष्णु दयाल राम:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2025 के दौरान प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन में प्रमुख विकास क्या रहे हैं, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा अविश्वास कार्रवाई और विलय नियंत्रण निरीक्षण शामिल हैं;
- (ख) हाल के प्रतिस्पर्धा कानून सुधारों को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, जिसमें समझौता और प्रतिबद्धता तंत्र तथा दंड निर्धारण में परिवर्तन शामिल हैं;
- (ग) उक्त आयोग के समक्ष कार्यवाही की दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता में सुधार के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए संस्थागत और प्रक्रियात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बाजार अध्ययन' के तहत पहचाने गए उद्देश्य और प्रमुख प्रतिस्पर्धा चिंताएं क्या हैं और इसके निष्कर्षों को भविष्य की प्रतिस्पर्धा नीति और प्रवर्तन को सूचित करने के लिए किस प्रकार उपयोग करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): वर्ष 2025 के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ('सीसीआई') ने प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यप्रणालियों/न्याय-रोधी से संबंधित 54 मामले दर्ज किए और 149 विलय (विलय एवं अधिग्रहण) संबंधी आवेदन प्राप्त किए। आयोग ने 38 न्याय-रोधी मामलों में अंतिम आदेश पारित किए और 146 विलय नोटिसों का निपटान किया।

(ख): हाल ही में किए गए प्रतिस्पर्धा कानून सुधारों को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत विभिन्न नियम और विनियम अधिसूचित किए। इनका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

जुर्माने के निर्धारण के संबंध में, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 में व्यक्ति या उद्यम के वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माने की गणना का प्रावधान किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीसीआई (धनीय शास्त्र की अवधारणा) मार्गदर्शक सिद्धांत 2024 अधिसूचित किए हैं, जिसमें जुर्माने के निर्धारण के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली दी गई है।

(ग): आयोग के समक्ष कार्यवाही की दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता में सुधार लाने के लिए, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने संयोजन (विलय और अधिग्रहण) की स्वीकृति की समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करने के लिए दूरदर्शी सुधार पेश किए और प्रतिस्पर्धा मामलों के त्वरित समाधान के हित में निपटान और प्रतिबद्धता ढांचा भी पेश किया।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम के तहत शामिल ग्रीन चैनल मार्ग सीसीआई को नोटिस फाइल करने पर मानित स्वीकृत होने के माध्यम से संयोजन की त्वरित स्वीकृति को सुगम बनाता है, जिससे प्रतिस्पर्धा मामलों का त्वरित समाधान संभव हो पाता है।

(घ): एआई और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन प्रमुख एआई प्रणाली और बाजारों/पारिस्थितिकी प्रणालियों को समझने के लिए किया गया था, जिसमें हितधारक, आवश्यक इनपुट/संसाधन, मूल्य श्रृंखलाएं, बाजार संरचनाएं और प्रतिस्पर्धा मापदंडों को समझना; उभरते प्रतिस्पर्धा मुद्दों की जांच करना; एआई अनुप्रयोगों, अवसरों, जोखिमों और परिणामों का आकलन करना; भारत और अन्य प्रमुख न्यायक्षेत्रों में नियामक/कानूनी ढांचे को समझना; और आयोग की प्रवर्तन और पक्ष समर्थन प्राथमिकताओं का पता लगाना शामिल हैं।

इस अध्ययन में प्रतिस्पर्धा से जुड़ी प्रमुख सरोकारों की पहचान की गई, जिनमें उच्च प्रारंभिक लागत और डाटा एवं प्रतिभा तक पहुंच के कारण एआई मूल्य श्रृंखला में संकेंद्रण; पारिस्थितिकी तंत्र में लॉक-इन और स्विचिंग लागत, एआई-संचालित मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम और स्वचालित व्यावसायिक निर्णयों के माध्यम से एल्गोरिथम अभिसंधि का जोखिम; एआई तकनीक के पूरे

स्टैक में स्व-वरीयता और उपभोक्ता डाटा के उपयोग के माध्यम से एआई-सक्षम मूल्य फेरबदल शामिल हैं।

भारत में एक प्रतिस्पर्धी एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और उपभोक्ता कल्याण की सुरक्षा के लिए, निष्कर्षों में व्यवसायों द्वारा प्रतिस्पर्धा अनुपालन के लिए एआई प्रणालियों का स्व-परीक्षा; बेहतर पारदर्शिता और सूचना विषमता को कम करना; सीसीआई द्वारा केंद्रित पक्षसमर्थन और क्षमता निर्माण; सरकारी नीतिगत पहलों की निरंतरता; और अंतर-नियामक समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 दिनांक 11.04.2023 को अधिसूचित किया गया था। संशोधन के अनुसरण में, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं।

- i. प्रतिस्पर्धा (दिशानिर्देशों के प्रकाशन का प्रारूप) नियम 2023 (जीएसआर संख्या 795(अ))
- ii. प्रतिस्पर्धा (आस्तियों या आवर्त का न्यूनतम मूल्य) नियम, 2024 (जीएसआर संख्या 547(अ))
- iii. प्रतिस्पर्धा (संयोजन के मापदंड) नियम 2024 (जीएसआर संख्या 548(अ))
- iv. प्रतिस्पर्धा (संयोजनों की छूट के मापदंड) नियम 2024 (जीएसआर संख्या 549(अ))

इसके अतिरिक्त, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सभी प्रासंगिक विनियम तैयार कर अधिसूचित किए जा चुके हैं, अर्थात्

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) विनियम, 2024
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (निपटान) विनियम, 2024
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (व्यापारावर्त या आय का अवधारणा) विनियम, 2024
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन) विनियम, 2024
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2024
